न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्याः–06/2017/भीलवाड़ा (2017/00010)

1. सुनील कुमार पुत्र बंशीलाल महाजन,, निवासी बागौर, तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती मांगी बाई पुत्री कजोडीमल महाजन (देवपुरा) पत्नि नानालाल लाठी, निवासी बागौर, हाल करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेट

2. बालूराम पुत्र बंशीलाल महाजन (देवपुरा), नि0 बागौर, तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा ।
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र बंशीलाल महाजन (देवपुरा), नि0 बागौर, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा ।
4. श्रीमती सीताबाई पुत्री कजोडमल महाजन (देवपुरा), पत्नि कंवरलाल झंवर, निवासी बागौर, तह0 माण्डल, जिला भीलावड़ा ।
5. श्रीमती कमला पुत्री कजोडमल महाजन (देवपुरा), पत्नि कन्हैयालाल खटोड़, निवासी बागौर हाल मुकाम रायपुर, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।
6. ग्राम पंचायत बागौर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, बागौर, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा ।

तरतीबी रेस्पोर्डेटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल, जिला भीलवाड़ा दिनांक 23.12.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 3/2015.

उपस्थितः–

1. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 6 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–22.12.2017

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 23.12. 2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बागौर में स्थित आराजी नंबर 429, 431 लगायत 433, 437, 534, 536, 1828, 2496, 2616, 2764, 2766, 2771, 2772व 2983 किता 16 कुल रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके खातेदार छाऊबाई बेवा कजोडीमल का 1/2 हिस्सा था । इसी प्रकार ग्राम बागौर तहसील माण्डल में आराजी नंबर 2517, 2770, 2982 मीन, 7538//2982, 7539/2982, 7705/2982 एवं 7708/2982 किता 7 कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा स्थित है जिसमें छाऊबाई का 1/3 हिस्सा दर्ज है । छाऊबाई के देहांत के पश्चात् ग्राम पंचायत बागौर के यहां नामांतकरण संख्या 2561 दिनांक 24. 2.2010 को पारित हुआ जिसमें बालूराम, सुनील कुमार अपीलांट एवं राजेन्द्र कुमार पुत्र बंशीलाल के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया । उक्त नामांतकरण संख्या 2561 दिनांक 24.2.2010 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के न्यायालय में प्रस्तुत की । उपखण्ड अधिकारी, माण्डल ने निर्णय दिनांक 23.12.2016 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत बागौर द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 2561 दिनांक 24.2.2010 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि छाऊबाई पत्नि कजोड़ीमल व बंशीलाल पुत्र छोगालाल महाजन के वारिसान की विधिवत् जांच करते हुए प्रकरण को अपने स्तर पर निस्तारण करे । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है । xx

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 उपस्थित तथा शेष रेस्पो0 अनुपस्थित रहे । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की बहस सुनी गई। xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ग्राम पंचायत के समक्ष पक्षकार नहीं थी इसलिये बिना प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट ने अपील मियाद बाहर

प्रस्तुत की थी परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने मियाद के बिन्दु पर कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है क्योंकि आदेश 41 नियम 3-ए जा0दी0 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को निर्णित करने पर ही अपील की सुनवाई की जावेगी । अधी0न्याया0 ने इस कानूनी बिन्दु को भी नजरअदांज किया कि सुनील कुमार अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि बाबत् आबादी एवं कृषि भूमि बाबत् एक वाद न्यायालय अपर एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा नंबर 2 में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें स्थगन आदेश पारित किया हुआ है । ऐसी स्थिति में नामांतकरण की अपील जो समरी कार्यवाही है को दावे के निर्णय तक स्थगित रखी जानी थी । प्रथम अपील न्यायालय ने उत्तराधिकार जैसे जटिल प्रश्न पर जिसका उनको क्षैत्राधिकार नहीं है, निर्णय पारित कर क्षैत्राधिकार का गलत प्रयोग किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि यदि रेस्पो0 संख्या 1 को नामांतकरण संख्या 2561 से कोई ऐतराज था तो उन्हें नियमित वाद दायर करना चाहिये था, परन्तु नामांतकरण की कार्यवाही में अपील के माध्यम से रेस्पो0 संख्या 1 कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता था। अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्याया0 का निर्णय दिनांक 23.12.2016 अपास्त किया जावे। xx

4- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि खातेदार की मृत्यु होने पर वह जिस जाति से संबंध रखता है उस विधि अनुसार नामांतकरण फैसल किया जाना चाहिये और यह निर्विवाद है कि छाऊबाई बेवा कजोड़ीमल महाजन हिन्दू होकर हिन्दू विधि से शासित होते है, ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत छाऊबाई की मृत्यु उपरांत उनका नामांतकरण धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत रेस्पो0 संख्या 1 मांगीबाई एवं रेस्पो0 संख्या 4 व 5, जो कि छाऊबाई की पुत्रियां होकर प्रथम श्रेणी के वारिसान है, के नाम खोला जाना चाहिये था क्योंकि छाऊबाई की मृत्यु निर्वसीयती हुई है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत ने अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 व 3, जो कि छाऊबाई के जांयदा पुत्र नहीं है बल्कि छाऊबाई के देवर बंशीलाल के पुत्र है, के नाम नामांतकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अपीलांट एवं रेस्पो0 2 व 3 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर आलोच्य नामांतकरण विरासत के आधार पर तस्दीक करवाया है जो सर्वथा गलत है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में यह भी निवेदन किया कि विवादित आराजियात पर अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त नहीं है । ग्राम पंचायत ने पटवारी हल्का द्वारा दर्शाये सजरे के विपरीत नामांतकरण फैसल किया है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नामांतकरण फैसल करने से पूर्व रेस्पो0 संख्या 1 एवं 4 व 5 को कोई नोटिस नहीं दिया जबकि रेस्पो0 संख्या 1 एवं 4 व 5 छाऊबाई की पुत्रियां

होकर विधिक वारिसान थी, जिन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक किया गया है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि तथाकथित नामांतकरण रेस्पो0 संख्या 6 सरपंच द्वारा पारित किया गया है उस वक्त ग्राम पंचायत का पूर्ण कोरम नही था जो कोरम के अभाव में भी विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर तथाकथित नामांतकरण को अपास्त कर प्रकरण छाऊबाई व बंशीलाल के विधिक वारिसान की जांच कर प्रकरण नायब तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवयकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बागौर में स्थित आराजी नंबर 429, 431 लगायत 433, 437, 534, 536, 1828, 2496, 2616, 2764, 2766, 2771, 2772व 2983 किता 16 कुल रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके खातेदार छाऊबाई बेवा कजोडीमल का 1/2 हिस्सा था । इसी प्रकार ग्राम बागौर तहसील माण्डल में आराजी नंबर 2517, 2770, 2982 मीन, 7538//2982, 7539/2982, 7705/2982 एवं 7708/2982 किता 7 कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा स्थित है जिसमें छाऊबाई का 1/3 हिस्सा दर्ज है । विवादित आराजियात के खातेदार छाऊबाई बेवा कजोड़ीमल एवं बंशीलाल की मृत्यु उपरांत पटवारी हल्का ने नामांतकरण संख्या 2561 ग्राम पंचायत के समक्ष भरकर प्रस्तुत किया जिसमें छाऊबाई बेवा कजोडीमल एवं बंशीलाल का सजरा भी अंकित किया है । उक्त सजरा अनुसार छाऊबाई के वारिसान में मांगीबाई, सीताबाई एवं कमला है किन्तु सरपंच ग्राम पंचायतय,बागौर ने नामांतकरण संख्या 2561 दिनांक 24.2.2010 को विरासत से बालूराम, सुनील कुमार, राजेन्द्र कुमार पिता बंशीलाल महाजन के नाम स्वीकृत करने के आदेश पारित किये है । उक्त नामांतकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त नामांतकरण स्वीकृत आदेश पर मात्र सरपंच, गाम पंचायत बागौर के ही हस्ताक्षर है, कोरम के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है । इससे स्पष्ट है कि उक्त नामांतकरण पूर्ण कोरम सदस्यों की उपस्थिति में पारित नहीं किया गया है, तथा पटवारी हल्का द्वारा नामांतकरण में दर्शाये गये सजरे को नजरअंदाजकर नामांतकरण आदेश पारित किया गया है । उक्त नामांतकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि तथाकथित नामांतकरण छाऊबाई के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने के बावजूद छाऊबाई के देवर बंशीलाल के पुत्रों के नाम स्वीकृत किया गया है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के विरूद्ध है । ग्राम पंचायत, बागौर द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 2561 दिनांक 24.2.2010 विधिक प्रक्रिया के विपरीत स्वीकृत किये जाने से अधी0न्याया0 ने तथाकथित नामांतकरण संख्या 2561 दिनांक 24.2.2010 को निर्णय दिनांक 23.12.2016 द्वारा अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार, बागौर को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें हमें

कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रतीत नही होता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 23.12.2016 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 06/2017 (2017/00010) बउनवानी सुनील कुमार बनाम मांगीबाई को अपास्त किया जाता हैं तथा उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा प्रकरण संख्या 3/2015 बउनवान मांगीबाई बनाम बालूराम में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर